

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1737] No. 1737] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 15, 2018/वैशाख 25, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 15, 2018/VAISAKHA 25, 1940

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2018

का.आ. 1929(अ).—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 5 की उप-धारा (1) और (2) का अनुपालन करते हुए तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 29.12.2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3298 (अ.) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए औषधि प्रौद्योगिकी सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है, नामत:—

क्र. सं.	सदस्य का नाम/पदनाम	बोर्ड में स्थिति	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री, 1940 जिसके तहत नियुक्त / मनोनीत / निर्वाचित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष	अधिनियम की धारा 5 (2) (i) के तहत नियुक्त किया गया
2.	औषध नियंत्रक, भारत, नई दिल्ली	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (ii) के तहत नियुक्त किया गया
3.	निदेशक, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (iii) के तहत नियुक्त किया गया
4.	निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (iv) के तहत नियुक्त किया गया
5.	निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (v) के तहत नियुक्त किया गया

2672 GI/2018 (1)

क्र. सं.	सदस्य का नाम/पदनाम	बोर्ड में स्थिति	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री, 1940 जिसके तहत नियुक्त / मनोनीत / निर्वाचित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (vi) के तहत नियुक्त किया गया
7.	अध्यक्ष, भारतीय फार्मेसी परिषद	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (vii) के तहत नियुक्त किया गया
8.	निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (viii) के तहत नियुक्त
9.	औषध नियंत्रक, असम	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (ix) के तहत मनोनीत
10.	डॉ. पल्लवी जैन गोविल, आयुक्त, एफडीए, मध्य प्रदेश	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (ix) के तहत मनोनीत
11.	प्रो. एम.डी. कारवेकर, बंगलुरू, कर्नाटक	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (एक्स) के तहत चुना गया
12.	डॉ जी. बी. गुप्ता, कुलपति, पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साईंसिस और आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xi) के तहत चुने गए
13.	श्री पंकज पटेल, अध्यक्ष, जाइडस कैडिला ग्रुप, अहमदाबाद	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xii) के तहत मनोनीत
14.	डी. नीलिमा क्षीरसागर, क्लीनिकल फार्माकोलॉजी में अध्यक्ष, आईसीएमआर, मुंबई	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xiii) के तहत चुने गए
15.	डॉ. आर एन टंडन, मानद महासचिव, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नई दिल्ली	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xiv) के तहत चुने गए
16.	डॉ. टी.वी. नारायण, बेंगलुरु, कर्नाटक	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xv) के तहत चुना गया
17.	श्री एम एस लोकेश प्रसाद, कर्नाटक, वैज्ञानिक अधिकारी और सरकारी विश्लेषक, ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी, बेंगलुरु, कर्नाटक	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xvi) के तहत मनोनीत
18.	डॉ वैशाली एन पटेल, सरकारी विश्लेषक, खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, वडोदरा, गुजरात	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xvi) के तहत मनोनीत

- 2. औषधि महानियंत्रक, भारत, इस बोर्ड के सदस्य-सचिव होंगे।
- 3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएगी।

[फा. सं. एक्स.19012/2/2009-डीएफक्यूसी (पार्ट)] सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2018

S.O. 1929(E).—In pursuance of sub-sections (1) and (2) of section 5 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, No. S.O. 3298(E), dated the 29th December, 2014, the Central Government hereby reconstitutes the Drugs Technical Advisory Board consisting of the following members, namely:—

Sl. No.	Name/Official Designation of the Member	Status in the Board	Section of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 under which appointed/nominated/ elected
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	The Director General of Health Services, New Delhi	Chairperson ex-officio	Appointed under section 5(2)(i) of the Act
2.	The Drugs Controller, India, New Delhi	Member ex-officio	Appointed under section 5(2)(ii) of the Act
3.	The Director, Central Drugs Laboratory, Kolkata	Member ex-officio	Appointed under section 5(2)(iii) of the Act
4.	The Director, Central Research Institute, Kasauli	Member ex-officio	Appointed under section 5(2)(iv) of the Act
5.	The Director, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Bareilly, U.P.	Member ex-officio	Appointed under section 5(2)(v) of the Act
6.	The President, Medical Council of India	Member ex-officio	Appointed under section 5(2)(vi) of the Act
7.	The President, Pharmacy Council of India	Member ex-officio	Appointed under section 5(2)(vii) of the Act
8.	The Director, Central Drug Research Institute, Lucknow	Member ex-officio	Appointed under section 5(2)(viii) of the Act
9.	Drug Controller, Assam	Member	Nominated under section 5(2)(ix) of the Act
10.	Dr. Pallavi Jain Govil, Commissioner, FDA, Madhya Pradesh	Member	Nominated under section 5(2)(ix) of the Act
11.	Prof. M. D. Karvekar, Bengaluru, Karnataka	Member	Elected under section 5(2)(x) of the Act
12.	Dr. G. B. Gupta, Vice-Chancellor, Pt. Deendayal Upadhyaya Memorial Health Sciences and Ayush University of Chhattisgarh, Raipur	Member	Elected under section 5(2)(xi) of the Act
13.	Shri Pankaj Patel, Chairman, Zydus Cadilla Group, Ahmedabad	Member	Nominated under section 5(2)(xii) of the Act
14.	Dr. Nilima Kshirsagar, Chair in Clinical Pharmacology, ICMR, Mumbai	Member	Elected under section 5(2)(xiii) of the Act
15.	Dr. R.N. Tandon, Honorary Secretary General, Indian Medical Association, New Delhi	Member	Elected under section 5(2)(xiv) of the Act
16.	Dr. T.V. Narayana, Bengaluru, Karnataka	Member	Elected under section 5(2)(xv) of the Act

Sl. No.	Name/Official Designation of the Member	Status in the Board	Section of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 under which appointed/nominated/ elected
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Shri M.S. Lokesh Prasad, Karnataka, Scientific Officer & Government Analyst, Drugs Testing Laboratory, Bengaluru, Karnataka	Member	Nominated under section 5(2)(xvi) of the Act
18.	Dr. Vaishali N. Patel, Government Analyst, Food & Drugs Laboratory, Vadodara, Gujarat	Member	Nominated under section 5(2)(xvi) of the Act

- 2. The Drugs Controller, India shall be the Member-Secretary of the Board.
- 3. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. X.19012/2/2009-DFQC(Pt)] SUDHIR KUMAR, Jt. Secy.